

10/25

न्यायालय अधिनियम 1962 के अन्तर्गत  
रजत बनाम श्रीनारायण केके

जि.सं.संख्या 10/2015

१०/१२/१५

आज यह पञ्जावली माननीय न्यायालय  
राजसू मण्डल राजस्थान, जयपुर से  
आप्त होकर पेश हुई। माननीय न्यायालय  
द्वारा निगरानी। सी.ए. 481/2012 दिनांक  
२२/१०/२०१५ को खारिज की जा चुकी है।

अतः पञ्जावली पुनः दर्ज रजिस्ट्रार हो पञ्जावली  
का आवेदन किया गया तथा मूलवाद की  
जांच करवाई गई है जो कि पर मूलवाद  
संख्या २०१०/१६ अउनवानी रजत बनाम  
श्रीनारायण का निस्तारण दिनांक ९/६/२०१७  
को ही हुआ है। अतः अब इस पञ्जावली

पाठ्य (विषय) निश्चय निषेधाज्ञा का कोई  
औचित्य शेष नहीं रह जाता है। पञ्जावली

वही स्तर पर खारिज की जाती है। पञ्जावली  
फैसल शुभा एक दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर  
आगरा मु. जयपुर

दि. १०/१२/१५